

१५

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 28/2021 & GCMS NO. 2021/1184

दायर दिनांक -30-06-2021

श्रीचंद पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राज.।
- वादी

- बनाम -

1. बनवारी लाल पुत्र रूपाराम
 2. महावीर प्रसाद पुत्र रूपाराम
 3. रामजीलाल पुत्र रूपाराम
 4. गीता पुत्री रूपाराम
 5. बहादुर पुत्र फूलचन्द
 6. रामावतार पुत्र फूलचन्द
 7. मूलचन्द पुत्र चन्द्रा
 8. सुरेश कुमार पुत्र चन्द्रा
जाति जाट निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
 9. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
 10. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
 11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रति. :- एकपक्षीय

दावा बाबत विभाजन
अ.धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
-:: निर्णय ::-

दिनांक- 15-09-2022

वाद वादी दिनांक 23.04.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./995 दिनांक 09.05.2022 प्रस्तुत करने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील उभय पक्ष द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम जाखल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 234, 939 रकबा क्रमशः 0.1900, 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.71 हैक्टर भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 234/1, 239/1 रकबा क्रमशः 0.10, 0.80 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 हैक्टर का बनवारीलाल, महावीर प्रसाद, रामजीलाल पिता रूपाराम, गीता पुत्री रूपाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 234/2, 939/4 रकबा क्रमशः 0.09, 0.81 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 हैक्टर का मूलचन्द, सुरेश कुमार पिता चन्द्रा जाति जाट साकिन देह राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/5 रकबा 0.4257 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का श्रीचन्द पुत्र घड़सी जाति जाट साकिन देह राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


ए. सी. ई. एम. (का. ट्रे.)
नवलगढ़

4. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/6 रकबा 0.4257 हैक्टर का बहादुर, रामावतार पिता फूलचन्द जाति जाट साकिन देह राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया मूर्तहीन खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/3 रकबा 0.0486 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का श्रीचन्द पुत्र घड़सी हिस्सा 1/2, बहादुर, रामावतार पिता फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन देह राहिन श्रीचन्द हिस्सा 1/2 बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जाखल, बहादुर व रामावतार का हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया मूर्तहीन खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
6. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/2 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का बनवारी लाल, महावीर प्रसाद, रामजीलाल पिता रूपाराम, गीता पुत्री रूपाराम हिस्सा 1/3, मूलचन्द, सुरेश कुमार पिता चन्द्रा हिस्सा 1/3, श्रीचन्द पुत्र घड़सी हिस्सा 1/6, बहादुर, रामावतार पिता फूलचन्द हिस्सा 1/6 जाति जाट साकिन देह राहिन मूलचन्द, सुरेश कुमार पिता चन्द्रा हिस्सा 1/3, श्रीचन्द घड़सी हिस्सा 1/6 बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जाखल, बहादुर व रामावतार पुत्र फूलचन्द का हिस्सा 1/6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया मूर्तहीन खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सहायक नवलगढ़ (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

16

ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ.

मु.न. 28/2021 & GCMS NO. 2021/1184

दावा बाबत विभाजन
अ.धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(श्रीचन्द बनाम बनवारी आदि वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरु श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिब-मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.09.2022 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम जाखल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 234, 939 रकबा क्रमशः 0.1900, 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.71 हैक्टर भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 234/1, 239/1 रकबा क्रमशः 0.10, 0.80 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 हैक्टर का बनवारीलाल, महावीर प्रसाद, रामजीलाल पिता रूपाराम, गीता पुत्री रूपाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 2. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 234/2, 939/4 रकबा क्रमशः 0.09, 0.81 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 हैक्टर का मूलचन्द, सुरेश कुमार पिता चन्द्रा जाति जाट साकिन देह राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 3. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/5 रकबा 0.4257 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का श्रीचन्द पुत्र घड़सी जाति जाट साकिन देह राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 4. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/6 रकबा 0.4257 हैक्टर का बहादुर, रामावतार पिता फूलचन्द जाति जाट साकिन देह राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 5. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/3 रकबा 0.0486 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का श्रीचन्द पुत्र घड़सी हिस्सा 1/2, बहादुर, रामावतार पिता फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन देह राहिन श्रीचन्द हिस्सा 1/2 बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जाखल, बहादुर व रामावतार का हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 6. ग्राम जाखल की भूमि खसरा नम्बर 939/2 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का बनवारी लाल, महावीर प्रसाद, रामजीलाल पिता रूपाराम, गीता पुत्री रूपाराम हिस्सा 1/3, मूलचन्द, सुरेश कुमार पिता चन्द्रा हिस्सा 1/3, श्रीचन्द पुत्र घड़सी हिस्सा 1/6, बहादुर, रामावतार पिता फूलचन्द हिस्सा 1/6 जाति जाट साकिन देह राहिन मूलचन्द, सुरेश कुमार पिता चन्द्रा हिस्सा 1/3, श्रीचन्द घड़सी हिस्सा 1/6 बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जाखल, बहादुर व रामावतार पुत्र फूलचन्द का हिस्सा 1/6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.09.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर का.ट्रे.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

L.R
with
09/05/2021

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

..... (नाम) तहसीलदार नवलगाव न्यायालय सहायक
लेखदार/उपखण्ड अधिकारी, नवलगाव के आदेश क्रमांक मु.त. 23/2021
दिनांक 30.6.21 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु
दिनांक 6.8.21 समय अज आराजी खसरा नम्बर- 234, 939
के काम नवलगाव पटवार हल्का नवलगाव पर श्री
तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर
हुंवा.

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगाव में विचाराधीन
प्रकरण संख्या- 28/2021 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से
नोटिस क्रमांक दिनांक द्वारा जारी किये गये थे
जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके
पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | वादी/ प्रतिवादी |
|---------|------------------------|-------------|------|------|-----------------|
| ① | बीचन्द उ. धरणीराम | | 74 | जाट | वादी |
| ② | महावीर उदाद उ. रूपाराम | | 66 | ५ | प्रतिवादी |
| ③ | रामजी लाल उ. रूपाराम | | 62 | ५ | ५ |
| ④ | बनवारी लाल उ. रूपाराम | | 56 | ५ | ५ |
| ⑤ | मूलचन्द उ. च-डाराम | | 52 | ५ | ५ |
| ⑥ | सुरेश कुमार उ. च-डाराम | | 50 | ५ | ५ |
| ⑦ | बहादुर सिंह उ. मूलचन्द | | 42 | ५ | ५ |

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं
उपखण्ड काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21
के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

| नाम | क्र. 1 | रकबा | कि. मी. |
|--|--------|------|---------|
| बनवारी लाल महावीर उदाद रामजी लाल चि. रूपाराम | 234 | 0.10 | ९१.५ |
| मीना सुनी रूपाराम बहादुर सिंह उ. मूलचन्द | 239 | 0.80 | ५ |
| | 1 | | |
| कुल | 2 | 0.90 | ९६.५ |

② श्रीमन्मद सुरेशकुमार पि. चन्डा जात्रे जाट हा. डेर
 खारदार - राहिन - बडोडा राज. से. गु. वें शाखा जाळत
 श्रवहीन

$$\frac{939}{2} = 0.09 \text{ १.}$$

$$\frac{939}{4} = 0.81$$

$$\frac{939}{2} = 0.90 \text{ १.}$$

③ श्रीमन्मद ज. घडसी जात्रे जाट हा. डेर खारदार
 राहिन - बडोडा राज. से. गु. वें शाखा जाळत
 श्रवहीन

$$\frac{939}{5} = 0.4257 \text{ १.}$$

④ बहापुर रामावनाद पि. श्रीमन्मद जात्रे जाट
 हा. डेर खारदार - राहिन - बडोडा राज. से. गु. वें शाखा
 कोसलिया श्रवहीन

$$\frac{939}{6} = 0.4257 \text{ १.}$$

⑤ श्रीमन्मद ज. घडसी हि. 1/2 बहापुर रामावनाद पि. श्रीमन्मद
 हि. 1/2 जात्रे जाट हा. डेर खारदार - राहिन श्रीमन्मद हि. 1/2
 बडोडा राज. से. गु. वें शाखा जाळत बहापुर व रामावनाद व
 हि. 1/2 वें शाखा कोसलिया श्रवहीन

$$\frac{939}{3} = 0.0486 \text{ १.}$$

⑥ बनवारीलात मधवीरजलाद रामजीलात पि. खारदार
 मीला जुरी खारदार हि. 1/3 श्रीमन्मद सुरेशकुमार
 पि. चन्डा हि. 1/3 श्रीमन्मद ज. घडसी हि. 1/6
 बहापुर रामावनाद पि. श्रीमन्मद हि. 1/6 जात्रे जाट
 हा. डेर खारदार - राहिन - श्रीमन्मद सुरेशकुमार
 पि. चन्डा हि. 1/3 श्रीमन्मद ज. घडसी हि. 1/6 बडोडा राज.
 से. गु. वें शाखा जाळत श्रवहीन बहापुर रामावनाद
 पि. श्रीमन्मद हि. 1/6 राहिन - बडोडा राज. से. गु. वें
 शाखा कोसलिया श्रवहीन

$$\frac{939}{2} = 0.0100 \text{ १.}$$

6.5.22
 जात्रे जाट

ए. सी. ई. ए. (जा. डेर.)
 नवलगाव

तहसीलदार (मं.)
 नवलगाव

विभाजन प्रस्ताव मौकों पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को सुनाये गये। मौकों पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | हस्ताक्षर | वादी/ प्रतिवादी |
|---------|----------------|-------------|------|------|----------------|-----------------|
| 1 | वीर उ. घडगीराड | | | जाट | वीर उ. घडगीराड | प्रतिवादी |
| 2 | महवीर उगत | उ. यशराम | | | महवीर उगत | प्रतिवादी |
| 3 | रामजी माल | उ. यशराम | | | रामजी माल | |
| 4 | पनवारी माल | उ. यशराम | | | पनवारी माल | |
| 5 | मूलचंद | उ. यशराम | | | मूलचंद | |
| 6 | सुरेश कुमार | उ. यशराम | | | सुरेश कुमार | |
| 7 | बहादुर | उ. मूलचंद | | | बहादुर | |

पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने का इच्छा कर दिया :-

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | वादी/ प्रतिवादी |
|---------|-----|-------------|------|------|-----------------|
| | | | | | |

मौकों पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | पता/ मोबाईल नं. |
|---------|-------------|--------------|------|------|-----------------|
| 1 | सुरेश कुमार | उ. वीर उ. | 45 | जाट | 9413568644 |
| 2 | महेन्द्र | उ. रामजी माल | 38 | " | 9461571297 |

इस प्रकार आज दिनांक 6.5.12 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर: 
महेश्वर (मू.अ.)
 नवलगढ़

ए.सी.ई.ए. (जा.दे.)
 नवलगढ़

